न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री मती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :– 107 / 2021

प्रार्थी

1 उरजाराम पुत्र धन्नाराम जाति घांची निवासी– अणदों का बास सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली

बनाम

अप्रार्थीगण

1. गेरी देवी पत्नी हापुराम जाति भाट निवासी बड़ी कला, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर राजस्थान।
2. रूपाराम पुत्र केसाराम
3. भोमाराम पुत्र केसाराम
4. जोगाराम पुत्र आईदान
5. तेजाराम पुत्र आईदान
6. प्रकाश पुत्र आईदान
7. शान्ति देवी पत्नी नेमाराम
8. नारायण पुत्र मगाराम के का.मु.
   8/1 चैना बाई पत्नी नारायण
   8/2 दुदाराम पुत्र नारायण
   8/3 अर्जुन पुत्र नारायण
   8/4 संतोष पुत्री नारायण
   8/5 सीता पुत्री नारायण
9. पपली पत्नी मादाराम जातिगण सीरवी निवासीगण भेरो बा की ढाणी, शिवपुरा तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।
10. तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत जिला पाली राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

सहपठित धारा 152 सीपीसी

उपस्थितः–

1. श्री पुनित दवे अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक :– 15/04/24

अधिवक्ता पूनित दवे ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी का पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण संख्या 107 / 2021 उरजाराम बनाम गेरीदेवी वगैरह अन्तर्गत धारा 251 ए मे न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सोजत द्वारा दिनांक 08.04.2024 को निर्णय पारित किया गया था। उक्त निर्णय में लिपिकिय त्रूटि वश आदेश व प्रतिकर राशि वितरण की तालिका में अन्य खसरो व खातेदारो का अंकन हो गया जिससे संशोधन किया जाकर माफिक पटवारी रिपोर्ट संशोधित किए जाने की ईतदुआ की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 08.04.2024 के पेज संख्या 5 में जारी आदेश की पंक्ति संख्या 07 व 08 व 09 में खसरा नम्बर 360 व

361 / 3 के स्थान पर खसरा नंबर 1534 / 1, 1535 / 1, 1539 / 1, 1572 एवं 1538 में से रकबा क्रमश 0.0088, 0.0272, 0.0272, 0.0240 तथा 0.0284 है0 कुल रकबा 0.1156 है0 भूमि का प्रस्तावित रास्ता बनता है। जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0 कीमत 133954 / – रूपये प्रति हैक्टर है। जिसके अनुसार (133954 / – रू0 × 2 × 0.1156 है0 = 30971 / – रूपये) पढा जावे। प्रतिकर राशि भुगतान निम्नानुसार किए जाने के संशोधित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

क0 सं0	ख0नं0 व किस्म	खातेदारो / काश्तकारो के नाम मय वल्दियत कौमियत व सकूनत	रास्ते की भूमि का रकबा है0 में	प्रतिकर की राशि रूपये में (डीएलसी की दौगुना)
1	1534 / 1	केलीदेवी पत्नी मुलाराम 1 / 10	0.0088	226
2		गेरीदेवी पत्नी हापुराम हिस्सा 1 / 15		150
3		मन्जूदेवी पत्नि सम्पतराम 1 / 30		76
4		रूपाराम पुत्र केसाराम 4 / 5		1805
5	1535 / 1	केलीदेवी पत्नी मुलाराम 1 / 10	0.0272	728
6		गेरीदेवी पत्नी हापुराम हिस्सा 1 / 15		459
7		मन्जूदेवी पत्नि सम्पतराम 1 / 30		243
8		रूपाराम पुत्र केसाराम 4 / 5		5829
9	1538	जोगाराम पुत्र आईदान सिरवी 1 / 3	0.0284	2536
10		तेजाराम पुत्र आईदान 1 / 3		2536
11		प्रकाश पुत्र नेमाराम 1 / 6		1269
12		शान्ति देवी पत्नि नेमाराम 1 / 6		1268
13	1539 / 1	भौमाराम पुत्र केसाराम जाति सिरवी	0.0272	7287
14	1572	जोगाराम पुत्र आईदान जाति सिरवी 2 / 3	0.0240	4286
15		चैना बाई पत्नी नारायण 2 / 45		286
16		दुदाराम पुत्र नारायण 2 / 45		286
17		अर्जुन पुत्र नारायण 2 / 45		286
18		संतोष पुत्री नारायण 2 / 45		286
19		सीता पुत्री नारायण 2 / 45		286
20		पपली पत्नि मादाराम सिरवी 2 / 27		476
21		भगाराम पुत्र मादाराम सिरवी 1 / 27		238

संशोधित आदेश / निर्णय की प्रति व मौका रिर्पोट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये एवं इनकी प्रति तहसीलदार, सोजत को भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 15/4/24 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)